झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड विधान मंडल के (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड विधान मंडल के (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

<u>खण्ड-1</u>

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 की धारा-17 का संशोधन ।

3. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 की धारा-18 का संशोधन ।

झारखण्ड विधान मंडल के (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001, (झारखण्ड अधिनियम–16, 2002 द्वारा यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के 57वाँ वर्ष में झारखंड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–

(i). यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(ii). यह अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. (i) झारखण्ड अधिनियम–03, 2001 की धारा–17 का संशोधन (यथा संशोधित 2002) की कंडिका–6 के उपखण्ड 'ख' में प्रथम पंक्ति में अंक एवं शब्द 3000(तीन हजार) रूपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 5000(पांच हजार) प्रतिस्थापित किया जायेगा। साथ ही साथ तीसरी पंक्ति में अंक एवं शब्द 15000(पंद्रह हजार) रूपये के स्थान पर 20000(बीस हजार) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) झारखण्ड अधिनियम–03, 2001 की धारा–17 की उप धारा (1)(ख) (यथा संशोधित 2002) की कंड़िका 6 के उपखण्ड (ग) के प्रथम पंक्ति में अंकित शब्द एक लाख रूपये के स्थान पर शब्द एक लाख पचास हजार रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा साथ ही साथ दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द समूह ''हवाईजहाज से यात्रा'' के बाद ''में एक सहयात्री ले जा सकते हैं'' शब्द समूह जोड़ा जायेगा तथा चौथी पंक्ति में अंकित शब्द "तीन" के स्थान पर "चार" प्रति स्थापित किया जायेगा।

(iii) झारखण्ड अधिनियम–03, 2001 की धारा–17 की उपधारा (iii) को विलोपित किया जायेगा।

(iv) झारखण्ड अधिनियम–03, 2001 की धारा–17 की उपधारा (v) की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द ''देय होगा'' के बाद "परन्तु यह भी कि उपधारा (ii) एवं (iii) के उपलब्धि एवं शर्त मृत व्यक्ति की पत्नी/पति पर लागू होंगे" को विलोपित किया जायेगा।

3. (क) झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा–18 का संशोधन (यथा संशोधित, 2002) की कंड़िका 7(i) के प्रथम पंक्ति में अंकित शब्द "सरकारी अथवा" के बाद "मान्यता प्राप्त" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा। (शेष यथावत्)।

(ख) झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा–18 (यथा संशोधित, 2002) की धारा (ii) के प्रथम पंक्ति में अंकित अंक शब्द "1000/–(एक हजार)" रुपये के स्थान पर "2000/–(दो हजार)" रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

यह विधेयक झारखण्ड विधान मंडल के (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 दिनांक 23 अगस्त, 2006 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 23 अगस्त, 2006 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची, (एल०ए०) 39--50--5-9-2006 ।